भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1787

2 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्याएं

1787. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई किसानों की आत्महत्याओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्यों के किसानों के संकट और सहकारी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों के फसली ऋणों की माफी मुद्दे के समाधन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश के गंभीर रूप से प्रभावित जिलों, केरल के इडुक्की जिले के लिए एक विशेष पैकेज पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'एक्सीडेंटल डैथ्स एडं सुसाइड्स इन इंडिया' (एडीएसआई) नाम से प्रकाशित अपनी पत्रिका में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना को समेकित एवं प्रसारित करता है। 2015 तक की ये रिपोर्टें ब्यौरों की वैबसाईट पर उपलब्ध है। वर्ष 2016 से आगे ये रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की गई है।

(ख) एवं (ग): सरकार को विभिन्न कारणों से किसानों की समस्याएं हल करने के लिए विभिन्न वर्गों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। किसानों की समस्याएं हल करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार ने उनके कल्याण हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की सूची **अनुबंध** पर प्रस्तुत है।

सरकार के पास फसल ऋण माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार ने एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा बताए गए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 764.45 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता के साथ केरल के इडुक्की जिले में किसानों की समस्याओं को कम करने के प्रयोजनार्थ एक पैकेज कार्यक्रम शुरू किया है। इस पैकेज की कार्यान्वयन अवधि नवंबर, 2013 में समाप्त हो गई है। केरल सरकार ने इस पैकेज की अवधि को नवंबर, 2016 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है जिसके संबंध में राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवनी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि जैसी विभिन्न सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत इडुक्की पैकेज से संबंधित अनुमोदित कार्यकलापों को कार्यान्वित करें।

लो.स.अता.प्र.सं. 1787

अनुबंध

सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाते हुए किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अधिकतर स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों और स्कीमों के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण से संबंधित प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

ii. "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

iv. राज्य सरकारों के माध्यम से मंडी सुधार करना।

v. मॉडल संविदा खेती अधिनियम को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना,

vi. ग्रामीण हाटों का उन्नयन करना ताकि व एकत्रीकरण केंद्र के रूप में कार्य करते हुए किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद कर सकें।

vii. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

viii. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है। यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

ix. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। गैर-वन्य सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास

पर बल देते हुए बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है।

x. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

xi. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

xii. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को प्रागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

xiii. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xiv. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xv. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

xvi. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xvii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनसंरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2

प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान ऋण कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xviii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xix. सरकार ने कृषि क्षेत्र की और ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xx. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को 2000 रुपये की चार-मासिक तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

xxi. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3 हजार रूपए की निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

*****